संख्या-16/2016/315/38-6-16-07(एसआरएलएम)/2014

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक- 30 मई, 2017**

विषयः- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आजीविका स्किल्स की 02 विशेष परियोजना कैप फाउण्डेशन तथा आई.ए.सी.एम. स्मार्ट लर्न प्रा0लि0 हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्दांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष पूर्व में मैचिंग राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के पत्रांक-513/395/एनआरएलएम/डीडीयू-जीकेवाई/स्पे0 प्रो0-2016, दि0-29.02.2016 तथा पत्रांक-672/393/एनआरएलएम/डीडीयू-जीकेवाई/393/2016, दि0-15.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-जे017036/14/2011-एसजीएसवाई2(एसपी) (आर0सं0-27बी) दि0-14.08.2015 द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत कैप फाउण्डेशन हैदराबाद हेतु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के लिए अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) में रू0-1,59,03,298 तथा पत्र सं0-जे017036/03/2012-एसजीएसवाई-2(एसपी) (आर0सं0-42बी) दि0-26.10.2015 द्वारा आई.ए.सी.एम. स्मार्ट लर्न प्रा0 लि0 हेतु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के लिए अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) में रू0-80,54,460/- कुल रू0-2,39,57,758/- की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से केन्द्रांश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत की धनराशि निर्धारित की गयी है। कैप फाउण्डेशन हेतु केन्द्रांश की धनराशि तीन किश्तों में 25:50:25 तथा आई.ए.सी.एम. स्मार्ट लर्न प्रा0 लि0 हेतु केन्द्रांश की धनराशि चार किश्तों में 25:50:15:10 के अनुपात में स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- भारत सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत 02 परियोजनाओं कैप फाउण्डेशन तथा आईएसीएम स्मार्ट लर्न प्रा0लि0 हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-2,39,57,758(रू0-दो करोड उन्तालीस लाख सत्तावन हजार सात सौ अट्ठावन मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0-7-279/38-6-15-07 (एसआरएलएम)/2014, दि0-12.03.2015 के माध्यम से 14 परियोजनाओं हेतु अनुदान सं0-83 के लिए स्वीकृत राज्यांश की धनराशि रू0-5,56,99,831/- जो आजीविका मिशन निदेशक के निर्वतन पर रखी गयी थी, में से 01 संस्था (आई.एल. एण्ड एफ.एस) हेतु स्वीकृत राज्यांश की धनराशि रू0-

http://shasanadesh.up.nic.in

1,39,19,205/- के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की 25 प्रतिशत की धनराशि रू0-79,85,953/- (रूपये उन्यासी लाख पच्चासी हजार नौ सौ तिरपन मात्र) को व्यय/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

1- योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्याशं की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

2- अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-79,85,953/- (रूपये उन्यासी लाख पच्चासी हजार नौ सौ तिरपन मात्र) में से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष कैप फाउण्डेशन तथा आईएसीएम स्मार्ट लर्न प्रा0 लि0, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

3- केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को कार्यदायी संस्था एवं सी.ई.ओ. नाबकान्स द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार से योजना में यथासमय तृतीय किश्त प्राप्त हो सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2017 को समर्पित कर दी जाएगी।

4- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा धनराशि की शुद्धता तथा योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त(आयु-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 तथा समाज कल्याण/बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- शासनादेश सं0-2-279/38-6-15-07(एसआरएलएम)/2014, दि0-12.03.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीया,

(गीता मिश्रा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2016/315(1)/38-6-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें 9वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सी0ई0ओ0 संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित संस्था द्वारा मिशन निदेशक।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
12- राज्य योजना आयोग-1/2
13- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in